न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/178

1. रामस्वरूप आत्मज श्री गजानन्द जी जाति मेघवाल ।
2. किशन गोपाल आत्मज श्री रामनारायण जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. नवल प्रकाश आत्मज श्री भैरूलाल जाति मेघवाल ।
2. ओमकला पत्नी नकल प्रकाश जाति मेघवाल निवासीगण भोजपुरा रोड खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री रघुवीर सिंह राठौड, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 22.11.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.04.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान कातश्कारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 607 रकबा 0.43 हैक्टर एवं प्रार्थी क्रम 02 के खातेदारी की ग्राम खेडारसूलपुर में खसरा नम्बर 606 की आराजी स्थित है । प्रार्थी क्रम 01 एवं सहखातेदान के खातेदारी की ग्राम खेडारसूलपुर में स्थित खसरा नम्बर 607 रकबा 0.43 हैक्टर में से सहखातेदार प्रार्थी क्रम 1 के भाई प्रभूलाल जी द्वारा अपना 1/6 हिस्से का बेचान अप्रार्थी क्रम 01 को कर दिया जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया । वादग्रस्त आराजी

के पास ही स्थित सिंचाई हेतु कुआ है जिससे सभी खातेदारान अपनी आराजी में सिंचाई करते हैं । अप्रार्थीगण ताकतवर व प्रभावशाली होने से प्रार्थीगण की आराजी की सिंचाई के एक मात्र कुए से निकलने वाले धोरे को बन्द करने पर आमादा हैं तथा प्रार्थीगण की आराजी पर पक्का रास्ता बनाना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि अप्रार्थीगण ग्राम खेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा स्थित आराजी नम्बर 607 एवं 608 पर जबरन रास्ता नहीं निकाले तथा कृषि से गैरकृषि कार्य नहीं करे व सिंचाई के धोरे को नष्ट नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ ने अपने निर्णय दिनांक 15.04.2019 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि वे सिंचाई के धोरे को नष्ट नहीं करें । तथा प्रार्थीगण को भी पाबन्द कर आदेशित किया कि अप्रार्थी क्रम 01 के हिस्से की भूमि पर आने–जाने के कायम रास्ते को अवरूद्ध नहीं रे तथा रास्ते के निर्बाध उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें । उभय पक्ष वादग्रस्त आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखें ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.04.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेन्ट का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का आदेश पारित किया है । रास्ते के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय को किसी प्रकार का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट का रास्ता होना माकर अपीलान्ट को पाबन्द किये जाने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट की आराजी पर कभी चार पहियों का रास्ता नहीं रहा है । रेस्पोडेन्ट अन्य खातेदारान व अपीलान्ट की आराजी के मध्य स्थित पगडन्डी पर से ही अपनी आराजी में आता जाता रहा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.04.2019 निरस्त फरमाया जावे एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा एक दावा पेश किया था जिसके

साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर यह कथन किया था कि अपीलान्ट के संयुक्त खाते की आराजी खसरा नम्बर 607 और 608 ग्राम खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है । आराजी के पास सिंचाई के लिए एक कुआ है जिससे सभी खातेदार सिंचाई करते हैं । कुए से निकलने वाले धोरे को अप्रार्थीगण बन्द करने पर आमादा हैं । अतः उन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने एक काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर यह कथन किया कि अप्रार्थीगण उनके रास्ते को बन्द करने पर आमादा हैं । अतः उनके खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र और अप्रार्थी कम 01 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है और प्रार्थीगण को रास्ते में अवरोध नहीं करने के लिए पाबन्द किया है जबकि रास्ते का विवाद धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निर्णित नहीं किया जा सकता । रास्ते का विवाद तहसीलदार अथवा ग्राम पंचायत के द्वारा ही सुना जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय रास्ते के बाबत् आदेश पारित करने के अधिकारी नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2009 (2) पेज 801 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के खाते की आराजी तक पहुंचने के लिए एक रास्ता मौजूद है जिसमें प्रार्थीगण आये दिन व्यवधान पैदा करते हैं। अप्रार्थीगण ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें तहसीलदार, लाडपुरा ने दिनांक 08.07.2019 को निर्णय पारित करते हुए रास्ते का खुलासा किया है । यह निर्णय पारित होने के उपरान्त रास्ते को अवरूद्ध करने की नियत से अपीलान्ट द्वारा यह धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा कभी भी धोरे में व्यवधान उत्पन्न नहीं किया गया है इस अस्थायी निषेधाज्ञा की आड में अपीलान्ट रेस्पोडेन्टगण के रास्ते को अवरूद्ध करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से रेस्पोडेन्टगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.04.2019 बहाल रखा जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय हाजा में अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया किया ।

11. हमने उक्त प्रार्थना पत्र को अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 63/2019 में पारित निर्णय दिनांक 08.07.2019 की प्रमाणित प्रति, मौका पर्चा दिनांक 23.07.2019 की प्रमाणित प्रति हैं । उक्त दस्तावेज प्रकरण से सम्बन्धित हैं । अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार, लाडपुरा की आदेशिका एंव तहसीलदार लाडपुरा के न्यायालय में पेश किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 की फोटो प्रति, मौका पर्चा दिनांक 23.07.2019 और एक सहमति पत्र की फोटो प्रति संलग्न है । साथ ही नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति एवं एक राजीनामा की फोटो प्रति और प्रथम सूचना रिपोर्ट की फोटो प्रति पेश की है । नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम खेडारसूलपुर की आराजी खसरा नम्बर 607 रकबा 0.43 हैक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट कम 01, अपीलान्टगण एवं अन्य के नाम खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 के अनुसार खसरा नम्बर 608 की आराजी अपीलान्ट कम 02 के खाते में दर्ज है ।

13. प्रार्थी अपीलान्ट के द्वारा यह कथन करते हुए रेस्पोडेन्टगण के खिलाफ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है कि उनके द्वारा कुए से निकलने वाले धोरे को बन्द करने का प्रयास किया जा रहा है और रेस्पोडेन्टगण ने काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर यह कथन किया है कि अपीलान्ट इस अस्थायी निषेधाज्ञा की आड में उनके रास्ते को अवरूद्ध करना चाहते हैं । अतः उन्हें रास्ते को अवरूद्ध नहीं करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । जहॉ तक रास्ते का प्रश्न है, पत्रावली पर तहसीलदार, लाडपुरा के आदेश दिनांक 08.07.2019 की प्रमाणित प्रति संलग्न है जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर धारा 251 के तहत रास्ते का खुलासा करने के आदेश दिये हैं और मौका रिपोर्ट दिनांक 23.07.2019 के अनुसार रास्ते को खुलासा भी किया गया है । माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय आरआरटी 2009 (2) पेज 801 के अनुसार रास्ते सम्बन्धी विवादों को निर्णित करने की अधिकारिता उपखण्ड अधिकारी को नहीं है । यह नजीर यहॉ चस्पा होती है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्टगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते के बाबत् जो आदेश पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण है ।

14. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि तहसीलदार, लाडपुरा के द्वारा दिनांक 08.07.2019 को जो आदेश पारित किया है यदि उसको किसी अपीलीय न्यायालय के द्वारा निरस्त नहीं किया गया है तो उसकी पालना सुनिश्चित होना भी आवश्यक है ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.04.2019 द्वारा रेस्पोडेन्ट के काउन्टर प्रार्थना पत्र पर रास्ते को अवरूद्ध नहीं करने के बाबत् जो अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है उसको अपास्त किया जाता है परन्तु यह निर्णय तहसीलदार, लाडपुरा के निर्णय दिनांक 08.07.2019 को प्रभावित नहीं करेगा ।

16. निर्णय आज दिनांक 22.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/11/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा